न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 06/2020

अनवान :

1. पालाराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. बीरबल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
2. लिलुराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
3. सुभाष पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
4. गुड्डीदेवी पत्नी स्व0 कृष्णकुमार पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
5. दिनेशकुमार पुत्र स्व0 कृष्णकुमार पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा। नाबालिग जरिये माता गुड्डीदेवी
6. सुनीलकुमार पुत्र स्व0 कृष्णकुमार पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा। नाबालिग जरिये माता गुड्डीदेवी
7. मिन्टुकुमारी पुत्री स्व0 कृष्णकुमार नाबालिग जरिये माता कुदरती वली माता गुड्डीदेवी पत्नी स्व0 कृष्णकुमार पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : वादी

निर्णय दिनांक : 27-2-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ के वर्तमान खाता सं0 155/156 के खसरा सं0 149 की 5.666 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी बीरबल के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा कणाऊ के ही वर्तमान खाता सं0 156/157 के खसरा सं0 658/167 की 1.518 है0 बारानी खातेदारी भी प्रतिवादी बीरबल के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा मुखराम की खातेदारी हुआ करती थी। मुखराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी बीरबल के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 4 ता 7 के पति व पिता कृष्णकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

कृष्ण कुमार के देहान्त होने पर उसका हिस्सा उसके वारिसान प्रतिवादीगण सं0 4 ता 7 को प्राप्त हुआ है परन्तु प्रतिवादी बीरबल कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी बीरबल के नाम दर्ज होने से वादी के खातेदारी हक अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद भूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 7 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें रोही मोजा कणाऊ के खाता सं0 155/156 की 5.566 है0 बारानी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 को 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार तथा रोही कणाऊ के खाता सं0 156/157 की 1.518 है0 भूमि प्रतिवादी बीरबल के हिस्सा में आ गई थी। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में आज भी कुल वादभूमि तन्हा प्रतिवादी बीरबल के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी पालाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, चित्रप्रति पास बुक प्रदर्श 2बी, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित कराये तथा चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र कृष्ण कुमार की पेश की।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा मुखराम की खातेदारी हुआ करती थी। मुखराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी बीरबल के नाम से दर्ज हुई है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में चित्रप्रति पास बुक प्रदर्श 2बी प्रदर्शित करवाई है जिसमें खसरा सं0 149 की बारानी कृषि भूमि वादी के दादा मुखराम के नाम दर्ज है जिससे उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में बीरबल के वारिसान में पत्नी उदीदेवी, तीन पुत्र लीलूराम, सुभाष, पालाराम मौजूद होना व एक पुत्र कृष्णकुमार फौत होना जिसके वारिसान में पत्नी गुड्डी, दो पुत्र दिनेश कुमार व सुनील कुमार एवं एक पुत्री मिंटू कुमारी होना एवं इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है तथा वादी व

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

...वादीगण में मुताबिक पारिवारिक बंटवारा आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। ...स प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के वर्तमान खाता सं0 155/156 के खसरा सं0 149 की 5.666 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी बीरबल के नाम से खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 बीरबल का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 तीनों संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 4 ता 7 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं इसी प्रकार रोही मौजा कणाऊ के ही वर्तमान खाता सं0 156/157 के खसरा सं0 658/167 की 1.518 है0 बारानी खातेदारी जो प्रतिवादी बीरबल के नाम से खातेदारी दर्ज है का तन्हा प्रतिवादी सं0 1 बीरबल खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 155/156 में वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 तीनों के नाम संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 4 ता 7 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा रोही मौजा ग्राम कणाऊ के ही वर्तमान खाता सं0 156/157 के खसरा सं0 658/167 की 1.518 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 बीरबल के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-2-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 06/2020

अनवान :

1. पालाराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. बीरबल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
2. लिलुराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
3. सुभाष पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
4. गुड्डीदेवी पत्नी स्व0 कृष्णकुमार पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
5. दिनेशकुमार पुत्र स्व0 कृष्णकुमार पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा। नाबालिग जरिये माता गुड्डीदेवी
6. सुनीलकुमार पुत्र स्व0 कृष्णकुमार पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा। नाबालिग जरिये माता गुड्डीदेवी
7. मिन्टुकुमारी पुत्री स्व0 कृष्णकुमार नाबालिग जरिये माता कुदरती वली माता गुड्डीदेवी पत्नी स्व0 कृष्णकुमार पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र वैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के वर्तमान खाता सं0 155/156 के खसरा सं0 149 की 5.666 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी बीरबल के नाम से खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 बीरबल का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 तीनों संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 4 ता 7 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं इसी प्रकार रोही मौजा कणाऊ के ही वर्तमान खाता सं0 156/157 के खसरा सं0 658/167 की 1.518 है0 बारानी खातेदारी जो प्रतिवादी बीरबल के नाम से खातेदारी दर्ज है का तन्हा प्रतिवादी सं0 1 बीरबल खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 155/156 में वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 तीनों के नाम संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 4 ता 7 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा रोही मौजा ग्राम कणाऊ के ही वर्तमान खाता सं0 156/157 के खसरा सं0 658/167 की 1.518 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 बीरबल के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-2-202.. को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner